

अनुसूची 5
[विनियम 5(5) देखें]

एस्करो खाता खोलने के लिए शर्तें

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास एस्करो एजेंट के रूप में भारतीय रुपये में एस्करो खाता संयुक्त रूप से और अलग-अलग निम्नलिखित मामलों में खोला जा सकता है।

1. किसी अनिवासी कंपनी(कार्पोरेट) द्वारा खुले प्रस्ताव / गैर-सूचीबद्धता / प्रस्ताव छोड़ने के जरिए शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों के अर्जन / अंतरण के लिए।

ए. एस्करो खाते में अनुमत जमा निम्नवत हैं :

i. बैंकिंग चैनल के जरिए विदेशी आवक विप्रेषण।

बी. एस्करो खाते से अनुमत नामे इस प्रकार हैं:

i. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SAST) विनियमावली अथवा सेबी द्वारा जारी किसी अन्य विनियम के अनुसार।

सी. इस प्रयोजन के लिए ओवरसीज़ अर्जक द्वारा निवासी अधिकार प्राप्त अधिदेशी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SAST) विनियमावली अथवा सेबी द्वारा जारी किसी अन्य विनियम के एस्करो खाते का परिचालन कर सकता है।

डी. उल्लेखनुसार अपेक्षा पूरी होते ही एस्करो खाता बंद कर दिया जाएगा।

2. शेयरों के अर्जन / अंतरण के लिए निवासी और अनिवासी अर्जक द्वारा

ए. एस्करो खाते में अनुमत जमा निम्नवत हैं :

i. बैंकिंग चैनल के जरिए विदेशी आवक विप्रेषण;

ii. अनिवासी धारक से अंतरण के जरिए शेयरों के अर्जन का प्रस्ताव करने वाले निवासी अर्जक द्वारा बैंकिंग चैनल के जरिए रुपये में प्राप्त प्रतिफल ।

बी. एस्करो खाते से अनुमत नामे इस प्रकार हैं:

i. लाभार्थी के बैंक खाते में शेयरों के निर्गम / अंतरण के लिए प्रतिफल का विप्रेषण (भारत में निर्गमकर्ता अथवा भारत अथवा विदेश में शेयरों का अंतरणकर्ता);

- ii. जिस प्रयोजन के लिए एस्करो खाता खोला गया था ऐसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी लेनदेन के विफल होने / सफल न होने के मामले में निधियों के प्रारम्भिक निवेशक की वापसी के लिए प्रतिफल का विप्रेषण।

सी. एस्करो खाते के साथ रखी /संलग्न प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा प्राधिकृत निक्षेपागार सहभागी के पास एस्करो एजेंट के रूप में रखे गए डी मैट खाते से जुड़ सकती हैं।

डी. एस्करो खाता जिस प्रयोजन के लिए खोला जाता है उसकी तारीख से अधिकतम 6 महीने की अवधि तक परिचालनीय रहेगा और उल्लेखानुसार अपेक्षा पूरी होते ही अथवा खाता खुलने की तारीख से 6 माह समाप्त होने में से जो भी पहले हो बंद कर दिया जाएगा। यदि एस्करो खाता 6 महीने से अधिक अवधि के लिए खुला रखना आवश्यक हो तो तत्संबंध में रिज़र्व बैंक की विशिष्ट अनुमति प्राप्त की जाए।

ई. उल्लिखित पैराग्राफ "डी" में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, किसी निवासी क्रेता और किसी अनिवासी बिक्रेता अथवा उसके विपर्यय शेयरों के अंतरण के मामले में यदि क्रेता और बिक्रेता के बीच सहमति हो तो कुल प्रतिफल राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि तक के लिए क्रेता और बिक्रेता के बीच एक एस्करो खाते की व्यवस्था की जा सकती है जिसकी अवधि अंतरण करार से अद्वारह माह से अधिक नहीं होगी।

3. समय-समय पर यथाशांशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त मात्रा में अर्जन और अधिग्रहण), 1997 [सेबी (SAST) विनियमावली] अथवा सेबी द्वारा जारी किसी अन्य विनियम के उपबंधों के अंतर्गत अर्जन/अंतरण किया जा सकेगा।

4. एस्करो खाता ब्याज रहित खाता होगा ।

5. एस्करो खाते में जमा शेष के बदले निधि अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाओं की अनुमति नहीं होगी।

6. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी केवायसी दिशानिर्देशों के अनुपालन की अपेक्षा प्राधिकृत व्यापारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

7. एस्करो खाते में जमा शेष, यदि कोई हो, तत्समय लागू विनिमय दर पर (अर्थात् शेयरों का अर्जन करने वाले भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिमय दर जोखिम वहन किया जाएगा), उल्लिखित अर्जन संबंधी सभी औपचारिकताओं के पूरी हो जाने के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

8. यदि किसी मामले में अर्जन / अंतरण फलीभूत न हो, तो प्राधिकृत व्यापारी ऐसे विप्रेषणों की सदाशयता के बारे में संतुष्ट होने पर ऐसे एस्करो खाते में जमा पूरी राशि के प्रत्यावर्तन / वापसी की अनुमति दे सकते हैं।
9. प्रत्यक्ष विदेशी (FDI) निवेश की रिपोर्टिंग हेतु निर्गमकर्ता अथवा शेयरों के अंतरक के खाते में निधियों के आने, जैसा भी मामला हो, की तारीख विप्रेषण हेतु संगत तारीख मानी जाएगी।